राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

''ए'' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

दूरभाष–0141–2740239, ई मेलः jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/नियुक्ति/अलेसे–III/8023 दिनांक :– 03-10-2025

आदेश संख्या :– 409/2025–26

कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 के पूर्व में जारी अंतिम परिणाम को दिनांक 04.09.2025 को रिशफल (Reshuffle) किया गया है। परिणामस्वरूप कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पूर्व में गैर अनुसूचित क्षेत्र में चयनित एवं नियुक्ति प्रदत्त 05 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन निरस्त कर अनुशंषा प्रत्याहारित (Withdrawn) की गई।

उक्त के क्रम में विभागीय आदेश संख्या 389/2025–26 दिनांक 12.09.2025 द्वारा पूर्व में गैर अनुसूचित क्षेत्र में चयनित एवं नियुक्ति प्रदत्त 05 अभ्यर्थियों का विभागीय आदेश संख्या 389/2025–26 दिनांक 12.09.2025 द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर दी गई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हए इन्हें निदेशालय स्तर से तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13980/2025 टिंकू कुमार मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय जयपुर द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 20.09.2025 जारी कर निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये हैः–

IN THE MEANWHILE, THE OPERATION AND EFFECT OF THE IMPUGNED ORDER DATED 04-09-2025 AS WELL AS THE RELIEVING ORDER DATED 12-09-2025, QUA THE PETITIONERS SHALL REMAIN STAYED.

अतः विधि अनुभाग के यू.ओ.नोट क्रमांक 522 दिनांक 03.10.2025 से प्राप्त राय के क्रम में माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 20.09.2025 की अनुपालना में विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या 389/2025–26 दिनांक 12.09.2025 को माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन प्रत्याहारित किया जाता है।

(अमिता शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/नियुक्ति/अलेसे–III/8023 दिनांक :– 03-10-2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. संयुक्त विधि परामर्शी, कोष एवं लेखा विभाग।
7. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष............................... को प्रषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिको को पूर्वानुसार कार्यग्रहण (कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन सहित) करवाते हुये कार्यग्रहण सूचना निदेशालय को प्रेषित करावें।
8. संबंधित कोषाधिकारी .... ।
9. सम्बन्धित श्री/श्रीमति/सुश्री.................................को प्रषित कर लेख है कि पुनः पूर्वानुसार पदस्थापन (कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन सहित) कार्यालय में कार्यग्रहण कर सूचना निदेशालय को प्रेषित करावें।
10. उप निदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं पी.आई.एस में रिकॉर्ड संधारण हेतु।
11. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
12. समस्त डीलिंग कार्मिक/वरिष्ठता सूची सीट।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक II/III)